

सतना
16 जुलाई 2024
मंगलवार



दैनिक

मीडिया ऑडिटर

सतना, रीवा से एक साथ प्रकाशित



जिम्बाले दौरे...

@ पेज 7

वाराणसी- विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए काशीवासियों के अलग प्रवेश द्वार, आईडी कार्ड जरूरी

- काशीवासियों के लिए अलग द्वार से प्रवेश करने की सुविधा दी गई है।
- सुबह चार से पांच बजे के बीच शिवलिंग का स्पर्श दर्शन।
- शाम को चार से पांच बजे तक बाबा का ज्ञानीकी दर्शन कर पाएंगे।

वाराणसी (एजेंसी)। काशी विश्वनाथ में दर्शन के लिए काशीवासियों के लिए अलग प्रवेश द्वार खोलने की चर्चा कई दिनों से चल रही है। अब मंदिर प्रशासन की ओर से इसका सफल दृष्टान्त कर लिया गया है। आगामी कुछ दिनों में रोजाना प्रवेश की व्यवस्था लगा कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से काशीवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी



सामने आई है। दरअसल, काशीवासी विश्वनाथ मंदिर के प्रवेश के लिए अलग द्वार की मांग कर रहे थे। अब प्रशासन ने इसको लेकर सफल दृष्टान्त कर लिया है कुछ दिनों में ही यह व्यवस्था ऐगुलर कर दी जाएगी। 22 जुलाई से सावन को शुआत हो रही है, इसके कारण वाराणसी में कांवड़ियों की भारी संख्या दिखेगी। ऐसे में मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए अलग द्वार मिलने से यहाँ के लोगों को राहत मिलन की उमीद है।

जेल में बंद रहेंगे केजरीवाल, नहीं मिली जमानत

हाईकोर्ट में 7 अगस्त को अगली सुनवाई

नईदिल्ली (एजेंसी)। शराब नीति केस में जेल में बंद अविद्युत केजरीवाल को जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। तब तक केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही बंद रहेंगे। केजरीवाल के बकीले ने हाईकोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उन्हें अतिरिक्त जमानत दी गई है।

पूर्णिया-हटिया कोटी एक्सप्रेस से गन पॉइंट पर अधिकारी का अपहरण

पटना (एजेंसी)। बैतूराय जिला के तेघर थाना क्षेत्र के अम्बा निवासी रामानंद पाठक के पुत्र दीपक कुमार पाठक का सोमवार सुबह 9.15 बजे पूर्णिया-हटिया कोटी एक्सप्रेस ट्रेन से अपहरण कर लिया गया। दीपक, जो नव चयनित ग्रामीण विकास पदाधिकारी हैं, हाईदीद से ट्रेन में सवार हुए थे और गया जा रहे थे। उन्हें बाद में बचित्यारपुर में सकुशल बरामद किया गया।

बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और असम में बारिश का तांडव

- आसम में बाढ़ का कहर, मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 93
- दिल्ली में झाम्जाम कोंकण में रेलवे ट्रैक पर गिरा मलबा, 7 ट्रेन प्रभावित
- उत्तर प्रदेश में बाढ़ से 10 लाख लोग हुए प्रभावित
- महाराष्ट्र के नासिक में फोर्ट पर फस्टे पर्टीकों का रेस्टर्यू

3.प्र. बिहार में ग्रांग खतरे के निशान के करीब, मुंबई में गाड़ियां बही, 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

नईदिल्ली/लखनऊ/पटना/मुंबई (एजेंसी)। देशभर में जारी भारी बारिश का दौर थमना नहीं दिख रहा है। कई राज्यों में अब भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इससे कई लोगों की मौत हो गई। यौसम विधायक ने आगामी पांच दिनों में कुछ क्षेत्रों में अल्प भारी तो, कुछ में भारी बारिश का अनुमान जताया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और असम में लगातार बारिश हो रही है। इससे इन राज्यों में नदियों खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई नदियां उफन पर हैं। नायिक के अंजनेरी फोर्ट में 10 से ज्यादा पर्टीकंप सीढ़ियों पर पानी के तेज बहाव में फस गए। हालांकि, कुछ घटों के बाद उन्हें लव विधायक की टीम ने रेस्क्यू किया। इसके अलावा बारिशिरी और चंद्रघुम के दौरान इनके द्वारा तेज जलतों में पानी भर गया। खेड़े में दीवानखानवटी स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मलबे के कारण रेल सेवा बाधित हुई है। कई ट्रेनें अलग-अलग स्टेशनों पर चार से पांच घंटे लेट हैं।



शाह ने की मुख्यमंत्रियों से बात

झर, बाढ़ के हालातों को देखते हुए गुहमंत्री अमित शाह ने गुजरात, उत्तर प्रदेश और असम में मुख्यमंत्रियों से बात की और उन्हें केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आशासन दिया है।

● असम में स्थिति गंभीर- असम में बाढ़ के कारण हालत खराब है। बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं, तो वही इससे अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी सर्वांगी में लोगों को विष्यापित किया गया है। राज्य आपदा प्राधिकरण के अनुसार गोवालपुरा में नाव लाउने से पांच लोगों की मौत हो गई। नगर और खनीत नदियों इस वक्त उफान पर है।

● उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हाल बेहाल- उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ का कहर जारी है। बहुत नदी उफान पर होने के कारण कई गांव जलमान हो गए। साथ ही कुछ लोगों की मौत की भी जानकारी सामने आई है। फर्नूखाबाद में रामगंगा और प्रयागराज, जगारासी मिजापुर, कानपुर में गंगा नदी उफान पर हैं। उत्तर प्रदेश से बाढ़ से 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।

● बिहार में सैकड़ों गांव जलमान- नेपाल में जारी बारिश और कासी बराज को खोले जाने के बाद बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। राज्य में पिछों एक सप्ताह से जारी बारिश के कारण सैकड़ों गांव जलमान हो गए।

● उत्तराखण्ड में कई मार्ग क्षतिग्रस्त- उत्तराखण्ड में लगातार बारिश हो रही है। इससे गोमुख मार्ग जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों के गोमुख पार्क प्रशासन ने लोगों के गोमुख जाने पर भी रोक लगा दी है।

मुस्लिम लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया, कहा-

तलाकशुदा महिलाओं को गुजरात भत्ता देना इस्लामी कानून के खिलाफ



नईदिल्ली (एजेंसी)। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईपीएलबी) ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजरातभास्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत घोषित किया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की विधिक ममता ने केंद्र के इस फैसले को बदला दिया है। लिहाजा शादी के रिश्ते को बनाए रखने के लिए सभी वैध उपाय किये जाने चाहिए। साथ ही इसके बारे में कुछ नमंज़ून में जो दिशानिर्देश दिए गए हैं, उनका पालन करना चाहिए। हालांकि, अमर वैवाहिक जीवन बनाए रखना कठिन हो जाता है, तो तलाक को मानवीय समाजन के तोर पर देखा जा सकता है। तलाकशुदा महिलाओं के लिए मुश्किल खड़ी करेगा यह फैसला- प्रत्यावर में यही बैठ कर गया कि बोर्ड की लगत है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन महिलाओं के लिए और ज्यादा समस्याएँ पैदा करेगा जो अपने दर्दनाक रिश्ते से सफलतापूर्वक बाहर आ चुकी हैं। एआईपीएलबी के प्रवक्ता सेयरद कारिमस रसूल इलियास ने एप्रिल खालिकी के बारे में यही बैठ करता है कि एआईपीएलबी ने अपने अधिक खालिकी सेयरद सैक्षिक्त रहमानी को देखा है। यह एप्रिल खालिकी, सेयरदांतिक और लोकांत्रिक उपाय करके देखें जैससे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वापस लेने के लिए कहा जा सकता है।

उपर्योग के लिए वह याचिका दायर कर सकती है।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपराध प्रक्रिया सहित (सीआईपीसी) की धारा 125 (अब भारतीय नायिक सुक्षम सौकाही की धारा 144) के तहत अपने पति से भरण-पोषण की हकदार है। इसके लिए वह याचिका दायर कर सकती है।

उद्धव ठाकरे के साथ हुआ विश्वासघात

- मातोश्री पहुंचे शंकराचार्य बोले- सीएम बनाने पर दूर होगा दुख



मुंबई (एजेंसी)। ज्योतिर्मित के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्त शरानंद ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। मातोश्री का दूरा करने के बाद शंकराचार्य ने कहा कि हिंदू धर्म में विश्वासघात दूरा पाया है। उद्धव ठाकरे के साथ यही हुआ है। वह विश्वासघात के भूक्त्वागी है। उन्होंने कहा कि वह राज्य के दोबारा सीएम बनाने तभी सब ठीक होगा।

देश का पहला हाइड्रोजन क्रूज पहुंचा काशी

वाराणसी (एजेंसी)। ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाला देश का पहला क्रूज वाराणसी पहुंच गया है। कोलकाता के कोचिंग शिपवार्ड से जलमान के जरिए शिप दर लगाने वाले घाट पहुंचा। पर्यटन विधायकी नियमों की विवादों के बावजूद एक बड़ा घाट को खोला गया। यहीं पर शिप की सजावट और लाइटिंग का काम किया जाएगा।



विचार

पूंजीगत खर्चों में वृद्धि एवं मध्यवर्गीय परिवारों को राहत प्रदान की जानी चाहिए।

जुलाई 2024 माह में शीघ्र ही केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25

के लिए पूर्णकालिक बजट पेश किया जाने वाला है। हाल ही में लोक सभा के लिए चुनाव भी सम्पन्न हुए हैं एवं भारतीय नागरिकों ने लगातार तीसरी बार एनडीई की अगुवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता की चाबी आगामी पांच वर्षों के लिए इस उम्मीद के साथ पुनः सौंप दी है कि आगे आने वाले पांच वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा देश में आर्थिक विकास को और अधिक गति देने के प्रयास जारी रखें जाएंगे। अब केंद्र सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शीघ्र ही केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। पिछले लगातार दो वर्षों के बजट में पूंजीगत खर्चों की ओर इस सरकार का विशेष ध्यान रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7.50 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान पूंजीगत खर्चों के लिए किया गया था और वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस राशि में 33 प्रतिशत की राशि की भारी भरकम वृद्धि करते हुए 10 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान पूंजीगत खर्चों के लिए किया गया था। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भी 11.11 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में केवल 11 प्रतिशत ही अधिक है। इस राशि को यदि 33 प्रतिशत तक नहीं बढ़ाया जा सकता है तो इसे कम से कम 25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ आगे बढ़ाने के प्रयास होना चाहिए अर्थात् वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए की राशि के स्थान पर 12.5 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान पूंजीगत खर्चों के लिए किया जाना चाहिए। किसी भी देश की आर्थिक प्रगति को गति देने के लिए पूंजीगत खर्चों में वृद्धि होना बहुत आवश्यक है और फिर भारत ने तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8 प्रतिशत से अधिक की आर्थिक विकास दर की रफतार को पकड़ा ही है। आर्थिक विकास की इस वृद्धि दर को बनाए रखने एवं इसे और अधिक आगे बढ़ाने के लिए पूंजीगत खर्चों में वृद्धि करना ही चाहिए। आर्थिक विकास दर में तेजी के चलते देश में रोजगार के नए अवसर भी अधिक मात्रा में विकसित होते हैं। जिसकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत को बहुत अधिक आवश्यकता भी है। भारत में पिछले 10 वर्षों के दौरान विकास की दर को तेज करने के चलते ही लगभग 25 करोड़ नागरिक गरीबी रेखा के ऊपर उठ पाए हैं एवं करोड़ों नागरिक मध्यवर्ग की श्रेणी में शामिल हुए हैं। अब भारत में गरीबी की दर 8.5 प्रतिशत रह गई है जो वित्तीय वर्ष 2011-12 में 21.1 प्रतिशत थी। गरीबी की रेखा से बाहर आए इन नागरिकों एवं मध्यवर्गीय नागरिकों

ने देश में उत्पादों की मांग में वृद्धि करने में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही, कर संग्रहण में भी इस वर्ग ने महती भूमिका अदा की है। आज प्रत्यक्ष कर संग्रहण लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है तथा वस्तु एवं सेवा कर भी अब 10८८ सतन लगभग 1.80 लाख करोड़ रुपए प्रतिमाह से अधिक की राशि के संग्रहण के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक ने भी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2 लाख करोड़ से अधिक की राशि का लाभांश केंद्र सरकार को उपलब्ध कराया है तो सरकारी क्षेत्र के बैंकों/उपक्रमों ने 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का लाभ अर्जित कर केंद्र सरकार को भारी भरकम राशि का लाभांश उपलब्ध कराया है, जबकि कछु वर्ष पूर्व तक केंद्र सरकार को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के घाटे की आपूर्ति हूत इन बैंकों को बजट में से भारी भरकम राशि उपलब्ध करानी होती थी। कुल मिलाकर इस आमूल चूल परिवर्तन से केंद्र सरकार के बजटीय घाटे में भारी कमी ढृष्टिओचर हुई है।

से अधिक हो गया था जो अब वित्तीय वर्ष 2024-25 में घटकर 5.1 प्रतिशत तक नीचे आने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। इस प्रकार, अब यह सिद्ध हो रहा है कि केंद्र सरकार ने न केवल अपने वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने में सफलता अर्जित की है बल्कि अपने खर्चों को भी नियंत्रित करने में सफलता पाई है। पूँजीगत खर्चों में वृद्धि के साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा अपने बजट में मध्यवर्गीय नागरिकों को आय कर की राशि में छूट देने का प्रयास भी वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में किया जाना चाहिए। क्योंकि, प्रत्यक्ष कर संग्रहण में हो रही भारी भरकम 25 प्रतिशत की वृद्धि इसी वर्ग के प्रयासों के चलते सम्भव हो पा रही है। वैसे, भारतीय आर्थिक दशान के अनुसार भी नागरिकों/करदाताओं पर करों का बोझ केवल उतना ही होना चाहिए जितना एक मधुमक्खी किसी फूल से शहद लेती है। मध्यवर्गीय नागरिकों के हाथों में अधिक राशि पहुंचने का सीधा सीधा फायदा अर्थव्यवस्था को ही होता है। मध्यवर्गीय नागरिकों के हाथों में यदि खर्च करने के लिए अधिक राशि पहुंचती है तो वह विभिन्न उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देता है इससे इन उत्पादों की मांग में वृद्धि दर्ज होती है और इन उत्पादों का उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ने से रोजगार के नए अवसर अर्थव्यवस्था में निर्मित होते हैं एवं कर्मनियों द्वारा विनिर्माण इकाईयों का विस्तार किया जाता है तथा निजी क्षेत्र में भी पूँजीगत निवेश बढ़ता है। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था के चक्र को बढ़ावा मिलता है जो अंततः देश के कर संग्रहण में भी वृद्धि करने में सहायक होता है। मध्यवर्गीय परिवार के आय कर में कमी करने से बहुत सम्भव है कि भारत में औपचारिक अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिले।

महात्मा गांधी भी धर्मातिरण का मुखर विरोध करते रहे थे एवं चर्च-मिशनरियों की गतिविधियों पर लगातार सवाल उठाते रहते थे और यहाँ तक कह चुके थे कि स्वतंत्र भारत में धर्मातिरणकारी संस्थाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ‘क्रिश्चियन मिशन्स- देयर प्लेस इन इण्डिया’ नामक पुस्तक के ‘टॉक विथ मिशनरिज’ अध्याय में महात्मा गांधी के हवाले से कहा गया है कि भारत में आम तौर पर ईसाइयत का अर्थ भारतीयों को राष्ट्रीयता से रहित बनाना तथा उनका युरोपीकरण करना है।



मनोज ज्वाला

खबर है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय अनुसूचित जातीय-जनजातीय एवं अर्थक रूप से कमज़ोर लोगों को क्रिश्विनिटी अथवा इस्लाम में तब्दील किए जाने के व्यापक रिलीजियस-मजहबी अभियान चिंता जतारे हुए कहा है इसे यदि रोका नहीं गया तो देश की बहुसंख्यक आबादी शीघ्र ही अल्पसंख्यक हो जाएगी या मुसलमान और तब देश की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी; अतएव सरकार कठोर कानून बना कर इस अभियान पर तत्काल रोक लगावे। ऐसी ही चिंता पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय भी जता चुका है। हालांकि दोनों ही न्यायालयों ने इसे %ईसाईकरण% अथवा 'इस्लामीकरण' की संज्ञा देते हुए ऐसा कहा है, किन्तु मेरा मानना है कि यह धर्मांतरण कतई नहीं है, अपितु यह तो 'धर्मान्मूलन' है; क्योंकि बहुसंख्यक समाज धर्मधारी है और क्रिश्विनिटी एक रिलीजन है, तो इस्लाम भी एक मजहब है। इन दोनों में से 'धर्म' कोई नहीं है, तो जाहिर है कि धर्मधारी लोगों को रिलीजन या मजहब में तब्दील कर देना उनके धर्म का उन्मूलन ही है 'अंतरण' तो कतई नहीं; यह धर्मांतरण तो तब कहलाता, जब एक धर्म से दूसरे धर्म में अन्तरण होता, अर्थात्, क्रिश्विनिटी और इस्लाम भी कोई धर्म होता। बहराहल, धर्मान्मूलन को धर्मान्तरण ही मानते हुए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने सरकार को जो निर्देश दिया है सो त्वरित क्रियान्वयन के योग्य है। धार्मिक स्वतंत्रता की आड में धर्मधारी प्रजा (बहुसंख्यक हिन्दू समाज) के ईसाईकरण अथवा इस्लामीकरण का छद्म अभियान चला रहे रिलीजियस-मजहबी संस्थाओं को परोक्षतः करारा जवाब देते हुए उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि किसी धार्मिक व्यक्ति को धर्म से विमुख कर उसे रिलीजन या मजहब में तब्दील कर दिया जाए। बकौल न्यायालय, लोभ लालच प्रलोभन दे कर या भयभीत कर भोले-भाले (धार्मिक) लोगों का ईसाईकरण अथवा इस्लामीकरण किया जाना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। सर्वोच्च न्यायालय का तो यह भी मानना है कि इस प्रकार के अभियान से भारत राष्ट्र की एकता-अखण्डता व राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न हो सकता है; अतएव इसे रोका जाना अनिवार्य है। जाहिर है सर्वोच्च न्यायालय की यह चिन्ता व मान्यता भारत के 'राष्ट्रीय युवा'- स्वामी विवेकानन्द और महान स्वतंत्रता सेनानी महर्षि अरविन्द के चिन्तन-उद्घोधन पर आधारित है। एक प्रकार से राष्ट्रान्तरण है। धर्म से विमुख हुआ व्यक्ति जब 'रिलीजन' व 'मजहब' को अपना लेता है, तब वह प्रकारान्तरण से भारत के विरुद्ध हो जाता है; क्योंकि धर्म तो भारत की आत्मा है, जबकि 'रिलीजन' व 'मजहब' अभारतीय अवधारणा हैं। इसी तरह से महर्षि अरविन्द का कथन है कि धर्म (सनातन) ही भारत की राष्ट्रीयता है और धर्मांतरण से भारतीय राष्ट्रीयता क क्षरण अवश्यम्भावी है। भारत के इतिहास और भूगोल में यह तथ्य सत्य सिद्ध हो चुका है। भारत-विभाजन अर्थात् पाकिस्तान-सूजन और खण्डित भारत के भीतर यत्र-तत्र रिलीजियस-मजहबी जनसंख्या के बढ़ते आकार से उत्पन्न विभाजनकारी पृथक्तावादी आन्दोलन इसके प्रमाण हैं। सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त चिन्ता को इसी परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। इसी कारण से महात्मा गांधी भी धर्मांतरण का मुख्यरूप विरोध करते रहे थे एवं चर्च-मिशनरियों की गतिविधियों पर लगातार सवाल उठाते रहते थे और यहां तक कह चुके थे कि स्वतंत्र भारत में धर्मांतरणकारी संस्थाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। 'क्रिश्विन मिशन्स- देयर प्लेस इन इण्डिया' नामक पुस्तक के 'टॉक विथ मिशनरिज' अध्याय में महात्मा गांधी के हवाले से कहा गया है कि भारत में आम तौर पर ईसाइयत का अर्थ भारतीयों को राष्ट्रीयता से रहित बनाना तथा उनका युरोपीकरण करना है। आगे वे कहते हैं— भारत में ईसाइयत अराष्ट्रीयता एवं युरोपीकरण का पर्याय हो चुकी है। चर्च-मिशनरियों धर्मांतरण का जो काम करती रही है, उन कामों के लिए स्वतंत्र भारत में उहाँ कोई भी स्थान एवं अवसर नहीं है। दिया जाएगा; क्योंकि वे समस्त भरतवर्ष को नुकसान पहुंचा रही हैं। भारत में ऐसी किसी चीज का होना एक त्रासदी है। सन 1935 में चर्च-मिशन की एक प्रतिनिधि से हुई भेंटवार्ता में महात्मा साफ कहा था— अगर सत्ता मेरे हाथ में हो और मैं कानून बना सकूं तो मैं धर्मांतरण का यह सारा धंधा ही बन्द कराऊंगा। (सम्पूर्ण गांधी वांगमय- खण्ड 61) बावजूद इसके आज देश भर में ऐसी रिलीजियस-मजहबी संस्थाओं का जाल बिछा हुआ है, जो शिक्षा-स्वास्थ्य-सेवा के विविध प्रकल्पों और सामाजिक न्याय व समता-स्वतंत्रता के विविध आर्कषक सज्जबागों एवं विकास-परियोजनाओं की ओट में देसी-विदेशी धन के सहरे छलपूर्वक धर्मांतरण का धंधा संचालित कर रही हैं। इन संस्थाओं की कारगजारियों के कारण यहां कभी

भारतीय आर्थिक दर्जन के अनुसृप हों इस वर्ष का बजट



ने बहुत फलदायी परिणाम नहीं दिए अतः बहुत लम्बे समय तक यह नीतियां आगे नहीं बढ़ सकीं। हालांकि बाद के खड़काल में तो वैश्विक स्तर पर वामपंथी विचारधारा ही धराशायी हो गई एवं सोवियत रूस कई टुकड़ों में बंट गया। आज तो रूस एवं चीन सहित कई अन्य देश जो पूर्व में —
—
—
—
—
—

अपना रहे थे, ने भी पूँजीवादी विचारधारा पर आधारित आर्थिक नीतियों को अपना लिया है। भारत का इतिहास वैभवशाली रहा है एवं पूरे विश्व के आर्थिक पटल पर भारत का डंका बजा करता था। एक ईसवी से लेकर 1750 ईसवी तक वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत के आसपास बनी रही है। उस समय पर

भारतीय आर्थिक दर्शन पर आधारित आर्थिक नीतियों का अनुपालन किया जाता था। मुद्रा स्फीति, बेरोजगारी, ऋण का बोझ, वित्तीय धाटा, बुजुर्गों को समाज पर बोझ समझना, बच्चों का हिंसक होना, सामाजिक तानाबाना छिन्नभिन्न होना आदि प्रकार की समस्याएं नहीं पाई जाती थीं। समाज में समस्त नागरिक आपस में भाईचारे का निर्वहन करते हुए खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते थे। प्राचीन काल में भारत के बाजारों में विभिन्न वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता था, जिसके चलते मुद्रा स्फीति जैसी समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में कई ग्रामों को मिलाकर हाट लगाए जाते थे जहाँ खाद्य सामग्री एवं अन्य पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता रहती थी, कभी किसी उत्पाद की कमी नहीं रहती थी जिससे वस्तुओं के दाम भी नहीं बढ़ते थे। बल्कि, कई बार तो वस्तुओं की बाजार कीमत कम होती दिखाई देती थी क्योंकि इन वस्तुओं की बाजार में आपूर्ति, मांग की तुलना में अधिक रहती थी। माननीय वित्तपंत्री महोदय का भी देश में मुद्रा स्फीति को नियन्त्रित करने के लिए बाजारों में उत्पादों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए न कि ब्याज दरों को बढ़ाकर बाजार में वस्तुओं की मांग को कम किए जाने का प्रयास किया जाए। विकसित देशों द्वारा अपनाई गई आधुनिक अर्थशास्त्र की यह नीति पूर्णत असफल होती दिखाई दे रही है और इतने लम्बे समय तक ब्याज दरों को ऊपरी स्तर पर रखने के बावजूद मुद्रा स्फीति की दर वांछनीय स्तर पर नहीं आ पा रही है। भारत को इस संदर्भ में पूरे विश्व को राह दिखानी चाहिए एवं आधुनिक अर्थशास्त्र के मांग एवं आपूर्ति के सिद्धांत को बाजार में वस्तुओं की मांग कम करने के स्थान पर वस्तुओं की आपूर्ति को बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए अथोत आपूर्ति पक्ष पर विशेष ध्यान दिलाना चाहिए।

